तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/11/24	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 26/11/24 ....को पेश हो।
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक...... ....को पेश हो। 04/12/24
04/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अधिवक्ता श्री रतिकुमार जैन ने अप्रार्थी सं० 1 की ओर पूर्व में U.T. प्रस्तुत की। पत्रावली वास्ते पेश होने वकालतनामा एवं जवाब आगामी तारीख पेशी दिनांक 08/01/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)
08/01/25	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक...... ....को पेश हो। 22/1/25
22/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं० 1 [illegible] [illegible] [illegible] अप्रार्थी सं० 1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] अप्र० सं० 2 ([illegible]) की [illegible] [illegible] प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील की [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)
6/2/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी की बहस पर [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

तारीख ... क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद. वादीगण बाबत दुरुस्ती रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज खसरा नम्बर 1405/1, रकबा 0.9611 हे० एवं खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.9611 हे० कोई स्टाफ सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील निवाई की तरमीम को पक्षकारों को मौके पर काबिज अनुसार दुरुस्त किया जाकर नवीन तरमीम की कार्यवाही करें। निर्णय खुले मंच में लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसला शुमार रजिस्टर नम्बर से खारिज होकर शामिल रिकॉर्ड हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

ायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी:सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––293/2023

प्रविष्टि दिनांक ––18.7.2023

उनवान

1. सतराज पुत्र रामकिशोर जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
2. प्रेम पत्नी रामकिशोर जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
3. बरजी पुत्री रामकिशोर जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
4. बलराम पुत्र रामकिशोर जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान
5. रेखा पुत्री रामकिशोर जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान

प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र कुमार जाट–वकील वादी
पैरोकार सरकार प्रतिवादी सं0 2

निर्णय

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत–दुरूस्त किये जाने शीट

दिनांक– 06/2/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत शीट दुरूस्ती प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 1405/1 रकबा 0.9611 है0 वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है जिस पर मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 1405/1 व अप्रार्थी सं0 1 की भूमि खसरा नंबर 1405/2 का एक ही खेत बना हुआ था जिसके पूर्व शीट मे खसरा नंबर 1405 का खेत बना हुआ था। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नंबर 1406 के लगवा खेत मे उत्तरी ओर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु वर्तमान मे शीट ऑन लाईन करते समय राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थीगण के कब्जे के स्था नपर खसरा नंबर 1405/2 रकबा 0.9611 है0 की तरमीम कर दी जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के वर्षो से उक्त खेत खसरा नंबर 1405 के उत्तरी ओर और प्रार्थीगण व दक्षिणी ओर अप्रार्थी सं0 1 काबिज चले आ रहे है। परन्तु ऑनलाईन शीट मे प्रार्थी के कब्जे के स्थान पर अप्रार्थी सं0 1 की भूमि खसरा नंबर 1405/2 का अंकन कर दिया और अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के स्थान पर प्रार्थीगण की भूमि का अंकन कर दिया। इसलिए वर्तमान शीट को दुरूस्त किया जावे।

इसके पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर वादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम सिरोही, नक्शा ट्रेस, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी मे अंकित है तथा वादीगण मौके पर काबिज है। वादी पत्र सही है जिसमे दुरूस्ती किया जाना उचित है। अप्रार्थी सं0 01 बाद तामिल अनुपस्थित रहा।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रतिवादीगण का बावजूद तामील के उपस्थित नही होना वाद पत्र की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। मोकिया शीट के अनुसार विवादित भूमि का मूल खसरा नंबर 1405 है जिसके टुकडे होने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी मे आई है। अपितु मोमिया शीट से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा क्षेत्र स्पष्ट नही हो रहा है लेकिन पैरोकार सरकार के जवाब मे शीट मे हुई त्रुटि को स्वीकार किया गया है तथा संशोधन किया जाना उचित बताया है। उक्त परिवर्तन त्रुटिपूर्ण है जो कि सेग्रीगेशन के दौरान होने की संभावना है। नक्शा शीट व जमाबंदियो मे सेग्रीगेशन के दौरान अनेक त्रुटिया सामने आई है। त्रुटियो की अधिकता के कारण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 3685 दिनांक 6.10.2021 मे वर्णितानुसार राजस्व सेग्रीगशन नक्शा प्राप्त होने के पश्चात मिलान करने पर खसरा नंबर /तरमीम जैसी अशुद्धिया आ रही है जिसे सही करवाया जाना आवश्यक है। उक्त शुद्धियो को धारा 136 के तहत करवाये जाने पर उक्त प्रक्रिया जटिल होने के कारण समस्याओं को सामना करना पड रहा है। जमाबंदी मे लिपिकीय त्रुटि होने से शुद्धि किये जाने का राजस्थान भू–राजस्व (भू0अ0) नियम 1956 मे प्रावधान है तथा नक्शो मे खसरा नंबर /तरमीम जैसी अशुद्धियो को शुद्ध करने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

इसी प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार भी मानचित्र मे पाई गई गलतियो को दुरूस्त किये जाने का अंकन है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे भी मानचित्र मे हुई तरमीमी त्रुटि से अवगत कराया है। त्रुटि के कारण भविष्य मे होने वाले विवादो से बचने के लिए त्रुटि को इस समय सुधारा जाना आवश्यक है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की व्याख्या के बिन्दु सं0 5 व 6 के अनुसार राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज मे कोई त्रुटि रह जाती है तो सक्षम न्यायालय मे वाद के माध्यम से चुनौति दी जाकर ऐसी त्रुटि को सही करने की व्यवस्था है। प्रस्तुत प्रकरण मे पाई गई त्रुटि उक्त प्रावधान की भूमिका मे निहित है। अतः न्याय की दृष्टि से उक्त त्रुटि को समय रहते ही सही किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की त्रुटियो से अनेक वाद दायर होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय मे प्रकरणो की अधिकता के कारण प्रकरण काफी लम्बे चलते रहते है जिससे जनता को शीघ्र न्याय नही मिल पाता है। अतः अधिनियम के उक्त प्रावधानो के एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र के आलोक मे वादीगण का वाद स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद, वादीगण बाबत दुरूस्ती शीट एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान शीट मे गलत रूप हुई खसरा नंबर 1405/1 रकबा 0.9611 है0 एवं खसरा नंबर 1405/2 रकबा 0.9611 है0 वाके ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक की तरमीम को पक्षकारो का मौके पर कब्जे अनुसार दुरूस्त किया जाकर, नवीन तरमीम की कार्यवाही करे, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/2/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार [illegible]लिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई